पत्रसं0-ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)मु0-06/11-12/एफ0एम0सी0जी0/ **1715** /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(वि0अनु0शा0 अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: **12 अक्टूबर, 2011**

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

वाणिज्यिक क्रिया-कलापों की दृष्टि से दीपावली का पर्व अत्यन्त महत्वपूर्ण है तथा दीपावली सन्निकट है । ऐसे अवसरों पर व्यापक बिक्री के उद्देश्य से बड़ी कम्पनियों द्वारा अपने उत्पादों पर विभिन्न प्रकार की स्कीम घोषित की जाती है तथा मोटर वेहिकिल, दुपहिया वाहनों, इलेक्ट्रानिक वस्तुओं, किराना, मेवा, मिठाई, रेडीमेड गारमेन्ट्स, बर्तन, गिफ्ट आइटम्स व अन्य एफ.एम.सी.जी. वस्तुओं का क्रय-विक्रय वर्ष के अन्य किसी भी माह की तुलना में उक्त अवसरों पर अधिक होता है ।

इसी क्रम में दीपावली के अवसर पर विभिन्न बैंकों एवं डाकघरों द्वारा सोने / चॉदी के सिक्के / बुलियन की बिक्री, बड़े पैमाने पर पटाखों एवं आतिशबाजी के सामानों की बिक्री किये जाने एवं विभिन्न कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसेज में किराना / मेवा का भण्डारण किया जाता है । इसके अतिरिक्त थोक व बड़े व्यापारियों / स्टाकिस्टों द्वारा अपने आपूर्ति केन्द्रों / गोदामों पर भी उक्त बिक्री योग्य वस्तुओं का संग्रह भी कर लिया जाता है । अत: ऐसे अवसरों पर व्यापक बिक्री के दृष्टिगत करापवंचन पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु विशेष सतर्कता की आवश्यकता है । इसके साथ ही फास्ट मूविंग कन्ज्यूमर गुड्स (एफ0एम0सी0जी0) का व्यापार करने वाली फर्मों की प्राथमिकता से जॉच कराया जाना भी आवश्यक है ।

अत: कृपया अपने जोन्स में बैंकों / डाकघरों द्वारा सोने की बिक्री किये जाने, पार्सल के माध्यम से सोना / बुलियन मंगाए जाने की सूचना संकलित करते हुए एक अभियान के रुप में उनकी जॉच तथा ड्राईफ्रूट्स, मिष्ठान, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक गुड्स, गिफ्ट आइटम्स, रेडीमेड गारमेन्ट्स, बर्तन, पटाखों एवं आतिशबाजी के थोक व्यापारियों की जॉच एवं कोल्ड स्टोरेज / वेयरहाऊसेज के संबंध में सूचना एकत्र कर उनकी प्रभावी जॉच कराया जाना सुनिश्चित करें । जॉच कार्य में जोन में कार्यरत् प्रवर्तन एवं करनिर्धारण कार्य में तैनात समस्त अधिकारियों का अधिकाधिक उपयोग करते हुए करापवंचन रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

सचल दल इकाइयों का भी सतर्क करते हुए अधिक से अधिक संख्या में वाहनों की जॉच एवं बिल का संग्रहण सुनिश्चित कराएँ । इसके अतिरिक्त अभिसूचना संकलन करके व्यापक एवं ठोस सूचनाओं के आधार पर थोक एवं बड़े ट्रांसपोटर्स व्यापारियों तथा स्टाकिस्टों के गोदामों तथा आपूर्ति केन्द्रों की गहनतापूर्वक जॉच कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जाए ।

उपरोक्त जॉच कार्य दिनांक 13-10-11 से दिनांक 24-10-11 के मध्य अभियान के रुप में चलाया जाएगा तथा वि0 नु0शा0 इकाइयों द्वारा प्रतिदिन किये गये कार्यों की दैनिक प्रगति रिपोर्ट सायं 8.00 बजे नियन्त्रण कक्ष मुख्यालय तथा सचल दल इकाइयों द्वारा किये गये रात्रि में कार्यों की प्रगति अगले दिन प्रात: 8.00 बजे मुख्यालय नियन्त्रण कक्ष को फैक्स के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी । उपरोक्त निर्देशों से अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएँ ।

ह0/
(अनिल संत)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।